संख्या- **3/1316/14-3-14**-700(194)/2012

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2014

विषय:- भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबन्ध पर शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ई0शा0-1271/20-1-8 (जनो0), दिनांक 24.06.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन विभाग में समूह 'ग' के कुल 1427 पदों को उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने के स्थाना पर सुसंगत सेवा नियमावलियों के अन्तर्गत संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने के संबंध में स्पष्ट आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहाने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अधीनस्त सेवा चयन आयोग अध्यादेश, 2014, दिनांक 02.06.2014 को प्रख्यापित किया गया है। उक्त अध्यादेश की धारा-1(2) के प्राविधानानुसार निर्गत अधिसूचना दिनांक 20.06.2014 से उक्त अध्यादेश प्रवृत्त हो गया है लेकिन अध्यादेश की धारा 5(1) के अधीन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना अभी नहीं की गयी है और धारा 5(2) के अधीन आयोग में अध्यक्ष व सदस्य की तैनाती भी अभी नहीं की गयी है। अतएव उक्त पदों उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि से छूट प्रदान किये जाने के संबंध में सहमति/अनापत्ति प्रदान करने का अवसर/औचित्य नही है। अतएव वर्तमान में प्रचलित सुसंगत सेवा नियमावलियों के अन्तर्गत उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in